वादी (बेटा) ही निकला मॉ का कातिल, थाना फैजगंज बेहटा पुलिस द्वारा सनसनीखेज घटना का सफल अनावरण किया,घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल बरामद अभियुक्त (बेटा) गिरफ्तार।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बदायूं डा0 ओ0पी0 सिंह के कुशल निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री सिद्धार्थ वर्मा के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी बिसौली श्री पवन कुमार के नेतृत्व में थाना फैजगंज बेहटा पुलिस द्वारा ग्राम कनुआखेडा में एक बुजुर्ग महिला की धारदार हथियार से निर्मम हत्या का खुलासा कर घटना का सफल अनावरण किया गया है ।

घटना क्रम

दिनांक 29/30-10-2022 को पुरानी मुकदमेबाजी व रंजिश को लेकर वादी सत्यवीर पुत्र अमर सिंह नि0 ग्राम कनुआखेडा थाना फैजगंज बेहटा बदायूँ अपने प्रतिपक्षियो के विरूद्ध नामजद करते हुए मु0अ0सं0 308/2022 धारा 302 भादवि बनाम रामबहादुर आदि 03 नफर शक के आधार पर पंजीकृत कराया था । घटना की गंभीरता के दृष्टिगत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बदायूं डा0 ओ0पी0 सिंह के निर्देशन में , अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री सिद्धार्थ वर्मा के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी बिसौली श्री पवन कुमार के नेतृत्व में थाना फैजगंज बेहटा पुलिस की टीम बनाकर घटना का अविलम्ब खुलासा करने हेतु निर्देशित किया गया था । जिसके क्रम में आज दिनाँक 03.11.2022 को सत्यवीर उपरोक्त से गहनता से पूछताछ की गयी तो घटना का इकवाल जुर्म किया गया।

पूछताछ का विवरण

अभियुक्त सत्यवीर पुत्र स्व0 श्री अमरसिह निवासी ग्राम कनुआखेडा थाना फैजगंज बेहटा जनपद बदायूँ ने पूछने पर बताया कि वर्ष 2017 में रामबहादुर की लडकी प्रवेश की हत्या हो गयी थी उस हत्या में मेरे भाई किशन सिंह , अजीत सिंह के विरुद्द मुकदमा हुआ था जिसमें मेरे दोनो भाईयो को सजा हो गयी है और वो बरेली सैन्ट्रल जेल में सजा काट रहे है मैं जब मिलायी करने जाता था तो मेरे दोनो भाई मुझसे कहते थे कि हमे जेल से जल्दी बाहर निकलवाओ और मुकदमे की पैरवी ठीक से करो जिससे हम लोग छूट जाये । इस बात से मैं बहुत चिन्तित था कि मैं भाईयो को कैसे छुडाऊं तभी मैने खुद एक प्लान बनाया कि मेरी मां जो बृद्ध हो चुकी है कि चुपके से हत्या कर दी जाये और रामबहादुर व उसके लडके अजयबाबू व उसके भाई नेत्रपाल के खिलाफ हत्या का मुकदमा लिखाकर उन्हे फसा दिया जाये तो जिस मुकदमें में हमारे भाई सजा काट रहे है तो दबाब बनने पर उसमें फैसला हो सकता है। इसी प्लान के तहत मैने अपना मोबाइल फोन बन्द कर दिया था और दिनांक 29.10.22 की रात्रि में 10.00 बजे के करीब मुरादाबाद से अपने घर आया था और घर के बाहर की तरफ बने कमरे में रुका था और हत्या

करने से पहले उसी में छिपा रहा था ताकि मुझे कोई देख न सके और फिर दिनांक 30.10.22 की सुबह करीब 4 - 5 बजे मैंने अपनी मां के रहने वाले कमरे के दरबाजे की कुन्दी खट खटाई तो माँ ने पूछा कि कौन है तो मैने अपना नाम बताते हुये कहा कि मैं सत्यवीर हूँ इस पर मेरी माँ ने कुन्दी खोल दी तो मेरी माँ ने मुझसे कहा की इस समय कहां से आ रहा है तभी मैने मौका पाकर पास में पडे बंका को उठाकर जान से मारने कि नियत से अपनी मां पर बंका से सिर पर ताबड तोड कई बार किये तो मेरी मां छटपटा के गिर गयी और उनकी मौके पर ही मौत हो गयी घटना को अंजाम देने के बाद चन्दौसी होकर अपने कमरे पर मुरादाबाद चला गया था । अपनी माँ जावित्री देवी की हत्या कर व दूसरे पक्ष पर शक के आधार पर खुद व खुद के भाईयो को बचाने के लिए यह मुकदमा लिखा दिया ।

अभि0 को गिरफ्तार कर घटना का खुलासा किया गया । अभि0 की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त एक अदद बाँका व घटना कारित करते समय जो कपडे पहने थे बरामद किये गये ।

गिरफ्तार अभि0 का नाम व पता

सत्यवीर पुत्र स्व0 श्री अमरसिह निवासी ग्राम कनुआखेडा थाना फैजगंज बेहटा जनपद बदायूँ

बरामदगी का विवरण-

अभि0 की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त एक अदद बाँका व घटना कारित करते समय जो कपडे पहने थे बरामद किये गये ।

गिरफ्तार व बरामदगी मे सम्मिलित पुलिस टीम-

श्री प्रदीप कुमार प्र0नि0 थाना फैजगंज बेहटा जनपद बदायूं, उ0नि0 श्री शिव कुमार सिंह, हे0का0 123 प्रताप सिंह , का0 1845 राहुल दिवाकर , का0 2179 अजीत शर्मा थाना फैजगंज बेहटा जनपद बदायूं ।

सोशल मीडिया सैल,

जनपद बदायूँ ।